

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
डी.के.एस.भवन, रायपुर-492001

22

- : आदेश :-


रायपुर, दिनांक 31/10/2007

क्रमांक/4239 एफ-5-11/2007/14-2 : राज्य शासन, एतद् द्वारा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 4.7 के अनुक्रम में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार " स्टेट फूड सेक्यूरिटी मिशन एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी" का गठन करती है:-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1 | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन | अध्यक्ष |
| 2 | सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग | सदस्य |
| 3 | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग | सदस्य |
| 4 | सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग | सदस्य |
| 5 | सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग | सदस्य |
| 6 | सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग | सदस्य |
| 7 | कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय | सदस्य |
| 8 | संचालक कृषि | सदस्य |
| 9 | अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10 | संचालक, छ.ग.राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी (स्टेट मिशन डायरेक्टर) | सदस्य सचिव |

यह समिति राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 4.10 में उल्लेखित अनुसार कार्य करगी।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(प्रदीप कुमार दबे)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
रायपुर, दिनांक 31/10/2007

पू. क्रमांक/4231 एफ-5-11/2007/14-2
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
5. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
6. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग
7. कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
8. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर
10. अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि
11. संचालक, छ.ग.राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग